

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प.12(2)नविवि/सवाईमाधोपुर/2022

जयपुर, दिनांक: 28 SEP 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् (1959) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर की सीमा में अभिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम घुड़ासी के खसरा नम्बर 446, 447, 448, 449, 452, 453, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 478, 698, 699, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 722, 757, 761 पर 'फार्म हाउस योजना' के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय लिया गया है।


इस योजना की सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

दिशा	Block-A	Block-B	Block-C	Block-D
पूर्व	ख.नं. 856	ख.नं. 758, 856	ख.नं. 762	ख.नं. 712, 721
पश्चिम	ख.नं. 702, 703, 489/ 1709, 483, 397, 404, 405, 440, 441	ख.नं. 726, 727, 756	ख.नं. 760	ख.नं. 425, 424, 423, 422, 724
उत्तर	ख.नं. 480, 481, 479, 409, 410	ख.नं. 713	ख.नं. 766, 762	ख.नं. 444, 445, 454, 455, 456, 457
दक्षिण	ख.नं. 397, 396, 394, 393, 465, 711, 712, 713	ख.नं. 759	ग्राम सीमा घुड़ासी - करेला	ख.नं. 726

इस योजना का कुल क्षेत्रफल 230476 वर्गमीटर है। इस योजना में क्षेत्रफल का विवरण तथा नक्शा कार्यालय नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर में उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
7. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रालवी।

११
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय